

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाखिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को इस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 6/4/16 को प्रणगत परियोजना के लिये वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री राजेश कुमार राजस्व विभाग की ओर से श्री अमित कुमार प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री प्रकाश जाल सहायक अभियन्ता एवं श्री दिनेश चन्द्र कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वनभूमि/नापभूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वनभूमि 0.540 हे०, सिविल एवं सोयम वनभूमि 1.440 हे०, वन पंचायत भूमि 0.00 हे० एवं नापभूमि 2.520 हे० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रणगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से दाखिमखेत, कन्यालीकोट वजनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वनभूमि में 1.04 वृक्षों व नापभूमि 0.8 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो).....

80/- (प्रयोक्ता एजेन्सी) [Signature]

80/- (राजस्व विभाग का प्रतिनिधि) [Signature]

80/- (प्रमाणित उप विभागीय अधिकारी) [Signature]

80/- (अभियन्ता) [Signature]

80/- (निरीक्षक) [Signature]

80/- (प्रमाणित उप विभागीय अधिकारी) [Signature]

80/- (अभियन्ता) [Signature]

80/- (निरीक्षक) [Signature]

80/- (प्रमाणित उप विभागीय अधिकारी) [Signature]

80/- (अभियन्ता) [Signature]

80/- (निरीक्षक) [Signature]